



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

दिनांक-

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, घोघरडीहा
जिला- मधुबनी

मगर पंचायत, घोघरडीहा के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,



वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14612/301

दिनांक- 25/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मधुबनी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 284/16-17

भाग - I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :- नगर पंचायत, घोघरडीहा
2. लेखा की अवधि :- 2013-2014 से 2015-16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :- अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :- 27.04.16 से 03.05.16 तक
5. प्रशासन :-
 - 1) मुख्य पार्षद का नाम अवधि
श्री पवन कुमार झा 01.04.13 से 04.07.14 तक
श्री शंकर झा 28.07.14 से 31.03.16 तक
 - 2) उपमुख्य पार्षद का नाम अवधि
श्री प्रमोद कुमार यादव 01.04.13 से 04.07.14
श्री सूरज मुखिया 28.07.14 से 31.03.16
 - 3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

क्रम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	श्री विजय कुमार	01.04.16	14.02.14
2	श्री सुनील कुमार साह	15.02.14	11.05.15
3	श्री अजित कुमार सिंह	22.05.15	08.09.15
4	श्री श्यामानन्द झा	09.09.15	31.03.16

6. लेखापरीक्षा दल के सदस्य
 1. श्री तनवीर हसन, व0ले0प0 अधिकारी
 2. श्री सुबोध प्रसाद, स0ले0प0 अधिकारी
 3. श्री आलोक कुमार, स0ले0प0 अधिकारी
 4. श्री मनीष कुमार-II, ले0 परीक्षक
7. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन:- अप्रस्तुत
8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :- हाँ
9. लेखापरीक्षा का परिणाम:-

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :- शून्य
वसूली हेतु सुझाई गई राशि :- ₹958077 रु
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि :- ₹12219974 रु
(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर)

10 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार नगर पंचायत को प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करना है एवं धारा 84 के अनुसार तैयार बजट को 15 मार्च तक सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा

जाना है। अधिनियम की धारा 75 में प्रावधान है कि बिना बजट में प्रस्तावित किये, किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जायेगा। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 का बजट नहीं बनाया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में किये गये सारे व्यय अप्राधिकृत थे।

11. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत ₹55570871.00 रु अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विवरणी परिशिष्ट- IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अनुदान की उपयोगिता की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय तथा अव्यवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

12. वित्तीय अधिदृश्य:-

कार्यालय द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2015-16 की अवधि में नगर पंचायत को प्राप्त आय व व्यय की स्थिति निम्न थी:-

क्र०	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आरंभिक शेष	16214536.74	16905699.00	23377765.00
2.	वर्ष की प्राप्ति	13890038.00	33221305.00	21262912.00
3.	कुल प्राप्ति	30104574.74	50127004.00	44640677.00
4.	कुल व्यय	13198875.74	26749239.00	25026139.00
5.	अन्तशेष	16905699.00	23377765.00	19614538.00

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II(क) – शून्य

भाग-II(ख)

कण्डिका:- 1 मनी रसीद द्वारा वसूली गई राशि रू0 548460.00 बैंक में जमा नहीं

नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा उपलब्ध कराये गये मनी रसीद के जाँच में पाया गया कि रसीद के माध्यम से दुकान किराया, सैरात, बन्दोबस्ती आदि की वसूली गई राशि रू0 548460.00 वसूलकर्ता महेशकान्त झा (स्वर्गीय) ने नजारत/बैंक में जमा नहीं किया था। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0	विधि रसीद सं0	वसूली की अवधि	राशि
1	3101-3200 (पिछला अंकेक्षण में भी जाँचा गया)	12.12.12 – 7.5.13	156909.00
2	3301 – 3400 (पिछला अंकेक्षण में भी जाँचा गया)	7.5.12 – 2.1.14	336951.00
3	3501 – 3510	3.1.14 – 11.1.14	54600.00

548460.00

टिप्पणी

कुल वसूली गयी राशि रू0 548460.00 का रोकड़बही में प्रविष्टि था लेकिन वसूलकर्ता द्वारा राशि को बैंक पासबुक में जमा नहीं किया गया था। स्व0 महेशकान्त झा नगर पंचायत घोघरडीहा में दैनिक पारिश्रमिक पर थे जिनकी मृत्यु दिनांक 16.12.2014 को हो गई थी तथा इन्हें वसूलीकर्ता बनाया गया, जो नियम विरुद्ध था।

कार्यालय का जवाब:- तत्कालीन रोकड़पाल के परिवार (उतराधिकारी) को बकाया राशि नगर पंचायत कोष में जमा करने हेतु सूचना निर्गत किया जायेगा और अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में उक्त विषय पर जाँचोंपरांत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

राशि ₹548460.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर अविलंब नगर कोष में जमा कराया जाय।

कण्डिका:-2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में प्रशिक्षण पर निष्फल व्यय, राशि रू 29.95 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक -02/स्वर्ण-06/08-1113 दिनांक 14.11.12 द्वारा नगर पंचायत को 30 लाख रू की राशि प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना था:-

क्रम सं०	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)	40 प्रतिशत	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20 प्रतिशत	600000.00
03.	शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20 प्रतिशत	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10 प्रतिशत	300000.00
05	(UWEP)	10 प्रतिशत	300000.00
		कुल	3000000.00

नगर पंचायत द्वारा शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) घटक में बी०पी०एल० के युवक/युवतियों को प्रशिक्षण के लिए राशि 29.953 लाख रु का व्यय किया गया, जो संबंधित संस्थाओं को भुगतान किया गया था तथा अन्य चार घटकों में योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक- 927 दिनांक- 06.09.12) द्वारा नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व तथा संस्थाओं के एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर संस्थाओं की जाँच कर ले क्योंकि समयभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जाँच नहीं किया गया है:-

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जाँच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाय।

नगर पंचायत द्वारा प्रशिक्षण हेतु कोई निविदा नहीं निकाला गया और कार्यालय द्वारा जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र और तिरहुत समग्र विकास परिषद से प्रशिक्षण कराने हेतु एजेंसी को कार्यादेश जारी किया गया और एकरारनामा कराकर प्रशिक्षण कराया गया।

नगर पंचायत द्वारा जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र से फैशन डिजाइनिंग के तहत सिलाई व कढ़ाई में 187 तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में 80 प्रशिक्षणार्थियों तथा तथा तिरहुत समग्र विकास परिषद से फैशन डिजाइनिंग के तहत सिलाई व कढ़ाई में 187 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्राप्त अनुदान 30.00 लाख रु में से 29.953 लाख रु प्रशिक्षण हेतु इन एजेंसियों को भुगतान किया गया। संस्था को भुगतान का विवरण:-

रोकड़ बही की तिथि	राशि	संस्था का नाम
13.01.13	726000	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र
23.02.13	605000	
कुल	1331000	
27.05.14	900000	तिरहुत समग्र विकास परिषद
27.05.14	117280	
19.08.14	647020	
कुल	1664300	
कुल योग	2995300	

भुगतान का आधार:-

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	दर	मद	भुगतान राशि	संस्था द्वारा मांग की गई राशि	भुगतान की गई राशि	संस्था का नाम
187	6800	प्रशिक्षण	1271600	1271600	1271600 (900000+117280+254320)	तिरहुत समग्र विकास परिषद
187	2500	टूल व किट्स	467500	467500	392700 (@ Rs 2100 for 187 trainees)	
	कुल		1664300	1664300		
264	6800	प्रशिक्षण	1513000	1484000	1331000	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र
	कुल		1513000	1484000	1331000	
	कुल योग				2995300	

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:-

1. प्राप्त अनुदान की राशि 30.00 लाख रु में से कौशल प्रशिक्षण पर 12.00 लाख रु व्यय करना था, परंतु कार्यालय द्वारा कुल 29.95 लाख रु व्यय किया गया, अर्थात् राशि 18.00 लाख रु (29.95- 12) का व्यय अन्य चार घटकों शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN), एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) में प्राप्त आवंटन की राशि 18.00 लाख रु से विचलन कर किया गया एवं इन चार घटकों में योजनाएँ क्रियान्वित नहीं की गई।
2. विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार संस्थाओं से प्रशिक्षण कराने का एकरारनामा करने से पूर्व इन संस्थाओं की जाँच 11 बिंदुओं पर कराना था, जिसे कराये जाने का साक्ष्य नहीं पाया गया और न ही कोई प्रतिवेदन पाया गया तथा न ही संचिका टिप्पणी में कोई आदेश या उल्लेख था।
3. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, परंतु इस पंजी का संधारण किया गया था या नहीं से संबंधित दस्तावेज लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. स्वरोजगार के लिए इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन को संस्थाओं द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजा गया या नहीं का कोई साक्ष्य नहीं था।
5. प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट्स उपलब्ध कराये जाने का कोई साक्ष्य नहीं था।
6. संबंधित ट्रेडों में 6 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाना था, परंतु मात्र जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र द्वारा मात्र पाँच माह का ही प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिससे प्रशिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।
7. तिरहुत समग्र विकास परिषद द्वारा 187 प्रशिक्षणार्थियों को टूल व किट्स के वितरण के एवज में राशि ₹467500.00 रु (187 x 2500) के भुगतान की मांग नगर पंचायत कार्यालय से की गई। कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण के जाँच के लिए प्राधिकृत कर्मी श्री दुलोचन सिंह, अनुसेवक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि प्रशिक्षणार्थियों को टूल व किट्स का वितरण नहीं किया गया है। लेकिन कार्यालय द्वारा इसकी जाँच नहीं कराई गई तथा अध्यक्ष के अनुशंसा के आलोक में संस्था को ₹392700.00 रु (187 x 2100) का भुगतान संस्था को कर दिया गया।
8. जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र द्वारा सिर्फ पाँच माह का ही प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें पाँच माह के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित दर 6800 रु प्रति प्रशिक्षणार्थी के दर से भुगतये राशि 1513000.00 रु $\{267 \times (6800 \div 6) \times 5\}$ था, जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा राशि 1484600.00 रु के भुगतान की मांग की गई। संस्था को पूर्व में अग्रिम स्वरूप 1331000.00 रु (726000+ 605000) भुगतान किया गया था। कार्यालय जाँच के अनुसार संस्था द्वारा पाँच माह का ही प्रशिक्षण दिये जाने व प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित नहीं करने के कारण अवशेष भुगतये राशि 153600.00 रु (1484600- 1331000) के भुगतान पर रोक लगा दिया गया।
9. प्रशिक्षण हेतु प्राप्त प्राप्त आवेदनों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आवेदक के बी0 पी0 एल0 में होने की जाँच कार्यालय द्वारा कराये जाने का कोई टिप्पणी या प्रतिवेदन नहीं पाया गया।

कार्यालय का जवाब:- विभागीय निदेशानुसार वी पी एल लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया था साथ ही उक्त से संबंधित दस्तावेज/तुलनात्मक विवरणी संचिका में संलग्न था।

जवाब तर्कसंगत नहीं है। टूल व किट्स के वितरण के बिना संस्था को इसकी भुगतान की गई राशि 392700.00 रु की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय। पूर्ण प्रशिक्षण नहीं दिये जाने व प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण प्रशिक्षण का उद्देश्य निष्फल रहा। उपर्युक्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक प्रशिक्षण में व्यय राशि 2602600.00 रु (2995300- 392700) को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कण्डिका:-3 एकल निविदा पर क्रय, राशि 27.55 लाख रु

नगर पंचायत द्वारा अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 02/15-16 द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित किया गया -

1. मोबाइल टवायलेट (सिन्टेक्स 6 मीटर) - 1 अदद
2. हाथ ठेला (Sintex 250 lt) - 13 अदद
3. फौगिंग मशीन (7 -- 10 लीटर) - 04 अदद
4. टीपर चार चक्का (Piaggio) - 01 अदद

उपरोक्त निविदा के विरुद्ध निम्न तीन फर्मों द्वारा कोटेशन (दो बोली प्रणाली के अन्तर्गत) समर्पित किए गये -

1. सिन्हा इन्टरप्राइजेज
2. रीता श्री इन्टरप्राइजेज
3. रिलायबल इन्टरप्राइजेज

उपरोक्त तीन फर्मों के तकनीकी बिड के आकलन के क्रम में पाया गया कि दो फर्म यथा रीताश्री इन्टरप्राइजेज एवं रिलायबल इन्टरप्राइजेज द्वारा कुछ वांछित अभिलेख यथा डिबार एवं रिसाइंड प्रमाण-पत्र आदि समर्पित नहीं किये गये थे एवं इस आधार पर इन दोनों फर्मों के अयोग्य घोषित करके एक मात्र तकनीकी बिड में सफल फर्म सिन्हा इन्टरप्राइजेज का वित्तीय बिड खोला गया एवं उक्त बिड में वर्णित दर पर निम्नलिखित प्रकार से आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया गया –

(i) मोबाइल टवायलेट (1 X 1299999)	= 12,99,999.00
(ii) हाथ ठेला (13 X 23500)	= 3,05,500.00
(iii) फौगिंग मशीन (4 X 125000)	= 5,00,000.00
(iv) टीपर चार चक्का (1 X 650000)	= 6,50,000.00
कुल	27,55,499.00

फर्म को भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है –

कुल विपत्र की राशि	2755499 / –
10% सुरक्षित जमा कटौती	275550 / –
5% वैट की कटौती	137775 / –
2.266% आयकर कटौती	62440 / –
शुद्ध भुगतान	2279734 / –

भुगतान चेकों का विवरण निम्न है –

राज्य योजना सफाई मद –	300102 / 05.03.16	–	390000 / –	
14वां वित्त आयोग	–	300003 / 05.03.16	–	86190 / –
14वां वित्त आयोग	–	300004 / 05.03.16	–	619047 / –
राज्य योजना सफाई मद –	557065 / 27.04.16	–	1184497 / –	
			2279734 / –	

अंकेक्षण टिप्पणी :

(i) चूँकि दो फर्मों को तकनीकी बिड के स्तर पर ही अयोग्य करार दे दिया गया था अतः केवल एक ही फर्म का वित्तीय बिड खोला गया एवं उसी फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया गया, इस प्रकार सामग्रियों का क्रय एकल निविदा के आधार पर किया गया। एकल निविदा को तभी मान्य करार दिया जा सकता है जबकि एक स्तर उपर के प्राधिकार से अनुमति ली गयी हो।

(ii) निविदा आमंत्रण में एक विशिष्ट ब्राण्ड यथा सिन्टेक्स मोबाइल टवायलेट एवं हाथ ठेला एवं पियाजियो (टीपर) का ही निविदा आमंत्रित किया गया था जो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131(R)(vii) का उल्लंघन है।

(iii) प्रकाशित सूचना के अनुसार बोली की राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि अग्रधन के रूप में जमा की जानी थी। अयोग्य करार दिये गये दो फर्मों रीता श्री इन्टरप्राइजेज एवं रिलायबल इन्टरप्राइजेज द्वारा इस मद में क्रमशः रू0 13000/- एवं रू0 33000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट समर्पित किया गया था एवं यदि इस आधार पर गणना की जाये तो रीता श्री द्वारा रू0 650000/- एवं रिलायबल इन्टरप्राइजेज द्वारा रू0 1650000/- का दर दिया गया था। जबकि सिन्हा इन्टरप्राइजेज का दर रू0 2755499/- था। इस प्रकार दरों में काफी अन्तर था।

(iv) उपरोक्त सामग्रियों का स्टॉक पंजी में प्रविष्टि नहीं किया गया था।

कार्यालय का जवाब:—ई टेंडर के पश्चात तीन निविदाकारों द्वारा बी ओ क्यू का कय कर निविदा में भाग लिया गया था। दो निविदाकारों को जैसे रीता इन्टरप्राइजेज एवं रिलायबल इन्टरप्राइजेज को निविदा शर्तों के अनुरूप योग्य नहीं पाया गया एवं सफल निविदाकर्ता सिन्हा इन्टरप्राइजेज को कार्यादेश निर्गत किया गया था। सभी सामग्रियों को भंडार पंजी में दर्ज किया गया है।

जवाब आपत्ति के अनुरूप नहीं है। कय एकल निविदा पर किया गया, जो नियमाविरुद्ध था एवं स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 2755499.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:—4 तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान राशि का दिशा निर्देश के विपरीत अनुदान राशि का व्यय, राशि 58.81 लाख

तेरहवीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग मार्गदर्शिका के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाना था:—

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन टोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए
2. पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था
3. स्ट्रीट लाइट और पेय जल के बिजली बिल के भुगतान
4. रैन बसेरा और वृद्धाश्रम के निर्माण

पुनः न0 वि0 वि0 के पत्रांक—3253 दिनांक—27.10.14 के अनुसार स्ट्रीट लाइट व नाला निर्माण कार्य कराने का उपबंध किया गया। परंतु रोकड बही व व्यय अभिश्रव के जांच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त मदों टोस अवशिष्ट प्रबंधन शीर्ष में कूड़ा के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया, पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था नहीं की गई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल के बिजली बिल के भुगतान नहीं किया गया एवं रैन बसेरा और वृद्धाश्रम का निर्माण नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा अनुदान की राशि का व्यय सिर्फ सफाई कार्य (व्यय— 3586818.00 रू) व सड़क निर्माण (व्यय— 2294599.00रू) के लिए किया गया, जो तेरहवीं वित्त आयोग के मार्गदर्शिका के विरुद्ध था।

इस प्रकार मार्गदर्शिका के अनुसार एक भी मद में राशि का व्यय नहीं किया गया तथा मार्गदर्शिका के विरुद्ध राशि 5881417 रू का अनियमित व्यय किया गया।

(विवरण परिशिष्ट— V पर संलग्न)

कार्यालय का जवाब:-

नगर पंचायत के आम बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित कर राशि का व्यय किया गया है। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

जवाब मूल्य नहीं हैं। अनुदान राशि का व्यय जिस प्रयोजन के लिए अनुदान दिया गया था, उसी निमित्त करना था। आपत्ति का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 5881417 रु को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:- 5 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि 5.50 लाख रु

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होंने पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ:-

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 06 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिनमें से केवल एक टावरों से ही नाममात्र की राशि जमा की गई। कुल मांग राशि 6.04 लाख रु के विरुद्ध राशि 5.50 लाख रु बकाया था।
3. संबंधित कम्पनियों को कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग में विलंब की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग नहीं की गई।

4. नियमानुसार टावर पर लगाये गये प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। परंतु इस संबंध में कार्यालय में कोई प्रतिवेदन नहीं था कि एक टावर पर कितना एंटीना लगाया गया है।
5. शुल्क नहीं देने पर ऑपरेटर के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई या नहीं से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय का जवाब:— संचार टावरों का निबंधन एवं नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु सभी संबंधितों को पूर्व में सूचना निर्गत किया गया था। पुनः अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।
अतः बकाया राशि एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित कर राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

कण्डिका:— 6 सैरात की बन्दोबस्ती

1. अवधि — 2013—14

बन्दोबस्ती का नाम — वाणिज्यिक वाहनों से सेवा शुल्क वसूली की बन्दोबस्ती 2013—14

बन्दोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि— 90000/—

बन्दोबस्ती की राशि — 231500/—

3% मुद्रांक शुल्क — 6945/— (बकाया)

डाकवक्ता द्वारा जमा बन्दोबस्ती राशि —

रसीद सं० 3236 दिनांक 15.04.13	115750
रसीद सं० 3291 दिनांक 12.11.13	65000
रसीद सं० 3497 दिनांक 31.03.14	<u>50750</u>
	231500

2. अवधि 2014—15

दिनांक 01.04.14 के कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार वर्ष 2014—15 के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी थी। पूर्व के भांति निर्धारित दर 19290.00 प्रतिमाह नगर कोष में जमा किया जाना था। दिनांक 30.09.14 को पत्रांक 338 के द्वारा वाहन सेवा शुल्क की वसूली हेतु रोक लगा दी गयी थी। अतः 01.04.14 से 30.09.14 तक कुल वसूली गयी राशि का जमा की गयी राशि की विवरण निम्नवत् है।

रसीद सं० 3613 दिनांक 10.04.14	19292
रसीद सं० 3622 दिनांक 05.05.14	19292
रसीद सं० 3639 दिनांक 20.06.14	19292
रसीद सं० 3657 दिनांक 30.07.14	19292
रसीद सं० 3684 दिनांक 11.08.14	19292
रसीद सं० 3731 दिनांक 12.09.14	<u>19292</u>
	115752

3% मुद्रांक शुल्क, $115752 \times 3\% = 3472$

3. 2015—16

बन्दोबस्ती का नाम — नगर पंचायत घोघरडीहा के अन्तर्गत वाणिज्यिक वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली।

बन्दोबस्ती की राशि = 100000.00

3% मुद्रांक शुल्क = 3000.00

डाकवक्ता द्वारा जमा कीं गयी राशि

रसीद सं० 4037 दिनांक 11.05.15	50000
4038 दिनांक 11.05.15	1500
4056 दिनांक 20.08.15	20000
4065 दिनांक 30.11.15	10000
4663 दिनांक 31.11.15	15000
	96500

कुल बकाया = 103000 - 96500 = 6500

टिप्पणी

1. वर्ष 2013-14 में मुद्रांक शुल्क 6945.00 बकाया था,
2. 2014-15 में 3% मुद्रांक शुल्क 3472 की वसूली नहीं की गयी थी।
3. 2015-16 में नये बन्दोबस्ती वाहन पार्किंग शुल्क पर डाकवक्ता पर 6500 बकाया था।

कार्यालय का जवाब:—वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्टाम्प शुल्क की कटौती की गई है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है। हुई हानि/वसूल नहीं की गई राशि, कुल 16917 रु (6945+3472+6500) की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित कोष में जमा किया जाय।

कण्डिका:-7 सैरातों का हस्तान्तरण नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये सैरात की संचिका के जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कई सैरात थे। विवरण निम्नवत् है।

क्र०	सैरात का नाम	मौजा	खेसरा	रकबा
1	पोखर किसनीपट्टी	डेवढ़	338	1.00
2	डेवढ़ जलकर	डेवढ़	751	0.68
3	डेवढ़ जलकर	डेवढ़	1934	0.45
4	डेवढ़ जलकर	डेवढ़	2308 / 1206	0.85
5	डेवढ़ जलकर	डेवढ़	2375	2.30
6	डेवढ़ जलकर	डेवढ़	1934	1.52
7	किसनीपट्टी जलकर	डेवढ़	48 / 316	1.0
8	तथैव	डेवढ़	379	0.70
9	डेवढ़ तालाब	डेवढ़	1951	0.65
10	डेवढ़ राजस्व हाट	डेवढ़	711, 708	0.52
11	किसनीपट्टी जलकर	डेवढ़	355	0.89

पत्रांक 942 दिनांक 14.08.15 के द्वारा अंचल अधिकारी ने डेवढ़ राजस्व हाट नगर पंचायत घोघरडीहा को हस्तान्तरित किया था। अन्य जलकर सैरात मत्स्य विभाग अधीन है।

टिप्पणी

1. मत्स्य विभाग द्वारा नगर पंचायत घोघरडीहा (मधुबनी) के अन्तर्गत पड़ने वाले जलकर सैरातो का हस्तान्तरण नहीं किये जाने का विषय जिला पदाधिकारी, मधुबनी के जानकारी में लाया जाये।
2. पत्रांक 942 दिनांक 14.08.15 के विभागीय वसूली गयी राशि 4800 रुपये अंचल अधिकारी से मांग कर नगर कोष में जमा करवाया जाये।
3. संबंधित अंचल द्वारा की गयी बन्दोबस्ती की संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय का जवाब:-

डेवढ़ राजस्व हाट का हस्तान्तरण आदेश प्राप्त हो चुका है एवं जलकर सैरात हस्तांतरण हेतु अंचलाधिकारी को सूचित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विषय पर आवश्यक प्रयास किया जाय जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई।

कण्डिका:- 8 बकाया दुकान किराया की राशि रू0 2.16 लाख

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया दुकान किराया विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2016 तक कुल रू0 2,15,575.00 विभिन्न दुकानदारों पर बकाया था।

क्र0 सं0	मार्केट का नाम	31.03.16 तक कुल बकाया राशि (रू0)
1	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने भवन का बकाया	44550.00
2	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने नव निर्मित भवन का बकाया	65400.00
3	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के दक्षिण भवन का बकाया	34600.00
4	घोघरडीहा आई0 टी0 आई0 के सामने भवन का बकाया	41600.00
5	न0 पं0 कार्यालय के समीप भवन का बकाया	11100.00
6	भवन का बकाया	1125.00
7	न0 पं0 कार्यालय के नीचे के भवन का बकाया	17200.00
		215575.00

कार्यालय का जवाब:-

दुकानदारों को पूर्व में नोटिस दिया गया है, पुनः वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

अतः वसूली हेतु आवश्यक प्रयास किया जाय।

कण्डिका:- 9 होल्डिंग कर का अधिरोपण नहीं

नगर पालिकाओं के आय का मुख्य स्रोत होल्डिंग कर है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में होल्डिंग कर निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत घोघरडीहा के स्थापना वर्ष 1985 से ही करों को निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व के पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति किया गया था। इसके बावजूद नगर पंचायत घोघरडीहा द्वारा करों का निर्धारण नहीं किया गया। फलस्वरूप नगर पंचायत को वर्षों से राजस्व क्षति हो रही है।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. सड़को की वर्गीकरण / करों की दर को बोर्ड में अनुमोदित सूची / स्वीकृति के संबंध में वस्तुस्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. सरकार को इस संबंध में कोई सूचना दी गई या नहीं।
3. आम सूचना जनता में प्रस्तुत किया गया या नहीं।

कार्यालय का जवाब:- होल्लिडिंग के पुनर्निर्धारण हेतु आम बैठक में पारित है एवं आगे कार्रवाई प्रारंभ है।

अतः होल्लिडिंग कर का अधिरोपण यथाशीघ्र किया जाय, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सदृढ़ हो सके।

कण्डिका:- 10 नगर सरकार भवन का निर्माण नहीं एवं राशि का अनुपयोगित पड़ा रहना, राशि 169.56 लाख रु

वित्तीय वर्ष 2006-07 में नगर पंचायत-घोघरडीहा को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 3850500.00 रु के प्राक्कलन पर 75 प्रतिशत की राशि 2887875.00 रु की स्वीकृति प्रदान की गई (पत्रांक-1398 दिनांक- 30.03.07)। परंतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण भवन का निर्माण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा नहीं कराया जा सका। इसके बाद विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में "नगर सरकार भवन निर्माण" हेतु राशि 16950000.00 रु के संशोधित प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान की गई व आवंटन दिया गया। विवरण निम्न है:-

आवंटन संख्या/दिनांक	राशि (लाख रु में)	कोषागार से निकासी कर बैंक में रखी गई राशि
1398/30.03.07	28.87875	2887875
50/13.11.13	75.47	6165000
89/06.02.14	47.83	शून्य
28/24.07.14	9.43396	शून्य
53/15.09.14	7.94729	शून्य
कुल	169.56	90.52875

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:-

विभाग के नए स्वीकृत्यादेश के अनुसार संबंधित नगर निकाय राशि की निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु अपने जिला के जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को राशि उपलब्ध करायेंगे तथा योजना का कार्यान्वयन दो वर्षों के अन्दर किया जायेगा।

परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा राशि को जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को प्रेषित नहीं किया गया। नगर सरकार भवन का निर्माण दो वर्ष के भीतर अर्थात् 2015 तक पूर्ण हो जाना था। योजना के आरंभ होने के बाद भी बहुत से नगर निकायों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3986 दिनांक-06.08.15 द्वारा कार्यकारी एजेंसी को परिवर्तन कर संबंधित नगर निकाय को ही कार्यकारी एजेंसी बनाया गया।

संचिका के जॉच में पाया गया कि नगर विकास विभाग, पटना के पत्रांक-459 दिनांक-15.03.16 द्वारा नगर पंचायत कार्यालय के निविदा आमंत्रण के आलोक में तकनीकी बिड में सफल एकल एवं मान्य निविदाकार नीलेश कुमार, रामपुर, डुमरा, मरंची, पटना को यह कार्य उनके द्वारा उद्यत दर परिमाण विपत्र के अनुसूचित दर की राशि 12327198.00 रु मात्र से 2.251 प्रतिशत कम दर पर जिसकी कुल राशि

12049712.00 रु पर कार्य आवंटित किया गया तथा 10 दिन के अंदर एकरारनामा करने हेतु कहा गया। परंतु अब तक एकरारनामा नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी:-

1. पूर्व की व्यवस्था के तहत निकासी की गई राशि 61.65 लाख रु तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्राप्त राशि 2887875.00 रु को डूडा को हस्तांतरित नहीं किया गया।
2. सफल निविदाकार से लेखा परीक्षा अवधि तक एकरारनामा नहीं किया गया था।

कार्यालय का जवाब:- नगर सरकार भवन निर्माण हेतु ई टेंडर किया जा चुका है। सफल निविदाकार द्वारा अग्रधन की राशि जमा किया जा चुका है। जल्द ही एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अतः शीघ्र कार्यादेश निर्गत कर कार्य शुरू कराया जाय।

कण्डिका:-11 योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ

योजना सं०- 01/14-15, लालू सिंह घर से विन्देश्वर सदाय घर तक मिट्टी खरंजाकरण सड़क।

प्राक्कलित राशि-680700.00

कार्यादेश- दि० 17.01.15

एकरारनामा- उपलब्ध नहीं।

प्रशासनिक स्वीकृति- कार्यपालक पदाधिकारी दि० 14.01.15

तकनीकी स्वीकृति-07.01.15 कार्यपालक अभियंता

मापीपुस्त की अंतिम मापी/तिथि-642599 दि० 06.05.15

अभिकर्ता को भुगतान

चेक	तिथि	राशि
463617	23.01.15	228872
463619	29.01.15	223471
463621	03.02.15	120238
-	06.05.15	18990
	कुल	591571

क्रमांक	अभिश्चव का विवरण	राशि
1	एम० के० बी० ईट उद्योग 03.02.15 ईट 15000 अदद	94650
2	हैण्डबिल 18.02.15	19743
		114393

मजदूर नामावली

तिथि	राशि
17.01.15 से 23.01.15	27732
24.01.15 से 28.01.15	18684
29.01.15 से 03.02.15	21573
कुल	67989

कुल= अभिश्चव + मजदूर नामावली= 309839+33447=343286

टिप्पणी

1 मापीपुस्त के जॉच मे पाया गया कि तीसरी मापी 03.02.15 को कर दी गयी थी तथा मजदूर नामावली के अनुसार 03.02.15 के बाद कार्य नही हुआ था। किन्तु चतुर्थ तथा अंतिम मापी 18.02.15 को की गयी थी। इस प्रकार बिना मजदूर के कार्य किस प्रकार किया गया था।

2 03.02.15 को 15000 अदद ईट का क्य किया गया था जबकि 18 मजदूरों के द्वारा एक दिन में 15000 अदद ईट का ब्रीक एज सोलिंग किया जाना असंभव प्रतीत होता है।

3. 18.02.15 के हैण्ड रसीद के अनुसार 101.25 घनमी० मिट्टी का क्य 03.02.15 के बाद 18.02.15 को किया गया था। जिसका प्रयोग योजना मे संदिग्ध प्रतीत होता है।

कार्यालय का जवाब:— लिपिकीय भूलवश तिथि त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गई थी, जिसका सुधार कर लिया जायेगा।

आपति का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 642599.00 रु को आपति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:—12 योजना के कियान्वयन में अनियमितताएँ

योजना सं०— 11/14-15, रामेश्वर सदाय के घर से जगदेव मुखिया के घर तक मिट्टी खरंजाकरण।

प्राक्कलित राशि— 415000.00

कार्यादेश— ज्ञपांक 204 दि० 11.04.15

एकरारनामा— उपलब्ध नहीं।

प्रशासनिक स्वीकृति— कार्यपालक पदाधिकारी दि० 02.03.15

तकनीकी स्वीकृति— 11.03.15 कार्यपालक अभियंता

मापीपुस्त की अंतिम मापी/तिथि— 337859 दि० 20.04.15

अभिकर्ता को भुगतान

तिथि	राशि
15.04.15	181645
20.04.15	104138
10.05.15	27033
वुल	312816
श्रम सेस की कटौती	3413

क्रमांक	अभिध्रव का विवरण	राशि
1	बोर्ड एक अदद	3439
2	15000 अदद एम० के० बी० ईट उद्योग, 01.03.15	94650
3	12500 अदद एम० के० बी० ईट उद्योग, 02.04.15	78875
4	हैण्ड बिल 33.75 घनमी० स्थानीय बालु 28.02.15 से 02.03.15	10935
5	हैण्ड बिल 33.75 घनमी० स्थानीय बालु 03.03.15	10935
6	हैण्ड बिल 63.00 घनमी० स्थानीय बालु 09.04.15 से 10.04.15	12285